



कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID:- nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक— १२०/१२-१ देहरादून:

दिनांक: १० सितम्बर, 2024

सेवा में,

उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:— जनपद पौड़ी गढ़वाल में जम्पिंग एडवैन्चर्स प्राईवेट लि० के पक्ष में 0.157 है० वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या:- FP/UK/OTHERS/9959/2015)

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं०-08वी०/यू०सी०पी०/06/71/2018/एफ०सी०/551 दिनांक 31-07-2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आत्तियों की आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा अपने पत्रांक 871/12-1 दिनांक 06-09-2024 से प्रेषित आख्या को वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 661/12-1 दिनांक 07-09-2024 से निम्नानुसार प्रेषित की गई है—

S.No.	Query Description	Compliance Report
1	The state forest department/Divisional Forest Officer shall clarify that the user agency has not carried out any construction work after lapse of lease period.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लीज धारक प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त लीज के वर्ष 2015-16 में कालातीत होने के पश्चात् कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में पुष्टि अभिलेख एवं फोटोग्राफ संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	The DFO Shall certify that there is no violation of Van (Sanrakshan evam samvardhan) Rules, 2023	वर्तमान में लीज धारक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 व वन संरक्षण अधिनियम 2023 का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-2)

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित उत्तरालेख की प्रति अग्रत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या १२०/१२-१ तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय—वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:— 661 / 12-1

दिनांक 07 सितम्बर, 2024।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:— जनपद पौड़ी गढ़वाल में जम्पिंग एडवेंचर्स प्राइवेट लि० के पक्ष में 0.157 है० वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में। (Online Proposal No- FP/UK/OTHERS/9959/2015)

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, संख्या 8 बी०/यू०सी०पी०/09/71/2018/एफ०सी०/551 दिनांक 31.07.2024 एवं आपका पत्रांक- 429/12-1 दिनांक-17/08/2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा आपका कार्यालय पत्रांक-871/12-1 दिनांक-06/09/2024 से जनपद पौड़ी गढ़वाल में जम्पिंग एडवेंचर्स प्राइवेट लि० के पक्ष में 0.157 है० वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का विन्दुवार उत्तर निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है:—

क्र०	आपत्तियाँ	निस्तारण
1	The state Forest Department / divisional Forest Officer shall certify that the user agency has not carried out any construction work after lapse of lease period.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि लीज धारक प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त लीज के वर्ष 2015-16 में कालातीत होने के पश्चात कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में पुष्टि अभिलेख एवं फोटोग्राफ संलग्न है। (संलग्न-1)
2	The DFO shall certify that there is no violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023	वर्तमान में लीज धारक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 व वन (संरक्षण एवं सर्वधन) अधिनियम 2023 का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। (संलग्न-2)

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तरालेख इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार करना चाहें।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:— 661 / 12-1

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को उनके उपरोक्त विषयांकित पत्र के क्रम में सूचनाथ प्रेषित।

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार

Tel/Fax No. 01382-228167

E-mail: office@lansdowne.nic.in

पत्रांक:- 871 /12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 06/सितम्बर/ 2024

से.0 में

वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त,

उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय-

जनपद पौड़ी गढवाल में जमिपिंग एडवेंचर्स प्राइवेट लि0 के पक्ष में 0.157 हे0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में। (Online Proposal No. FP/UK/OTHERS/9959/2015)।

संदर्भ-

आपका पत्रांक 2209/12-1 दिनांक 24.08.2024, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर,फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 429/12-1 दिनांक 17.08.2024 एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल संख्या-8बी0/यू0सी0पी0/09/71/2018/एफ0सी0/551 दिनांक 31.07.2024.

संदर्भ,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद पौड़ी गढवाल में जमिपिंग एडवेंचर्स प्राइवेट लि0 के पक्ष में 0.157 हे0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/09/71/2018/एफ0सी0/551 दिनांक 31.07.2024 के द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निम्नानुसार निम्नवत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्र0सं0

आपत्तियाँ

निरस्तारण

1	The state Forest Department / divisional Forest Officer shall certify that the user agency has not carried out any construction work after lapse of lease period .	विन्दु संख्या 01 के क्रम में अवगत कराना है कि लीज धारक प्रयोक्ता एडवेंचर्स द्वारा उक्त लीज के वर्ष 2015-16 में कालातीत होने के पश्चात् कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में पुष्टि अभिलेख एवं फोटोग्राफ संलग्न है। (संलग्न-1)
2	The DFO shall certify that there is no violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023.	विन्दु संख्या 02 के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में लीज धारक द्वारा वन (संरक्षण एवं सर्वधन) अधिनियम 1980 व वन (संरक्षण एवं सर्वधन) नियम 2023 का उल्लंघन नहीं किया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न है।)

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)

प्रभागीय वनाधिकारी,

लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार

पत्रांक 871 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- सहायक वनाधिकारी व वन (केन्द्रीय), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर,फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

o/c

(नवीन चन्द्र पन्त)

प्रभागीय वनाधिकारी,


लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार

(1 - Photo)




Latitude: 30.063478
Longitude: 78.398395
Altitude: 399.9±31 m
Accuracy: 16.6 m
Time: 15-08-2024 12:48
Note: jumping heightz 3

Powered by NoteCam



Latitude: 30.063414
Longitude: 78.398361
Elevation: 444.1±31 m
Accuracy: 8.0 m
Time: 15-08-2024 12:48
Note: jumping heightz 2p

Powered by NoteCam



Latitude: 30.063438
Longitude: 78.398342
Elevation: 444.1±31 m
Accuracy: 8.5 m
Time: 15-08-2024 12:47
Note: jumping heightz

Powered by NoteCam

JINESH DOSHI & ASSOCIATES

Tax Invoice

Date 21/10/2009

To.


Jumpin Adventures Pvt. Ltd.
Bijni Choti, Yamkeshwar Block,
Pauri Garhwal,
Rishikesh

Item No.	Particulars	Amount (Rs.)
1	Construction & Fabrication of Jumping Platform with Cantilever Bridge, made from structural steel & Foundations in R.C.C. complete. RA-4	1717062
	Total	1717062

(Rupees: Seventeen Lakh Seventeen Thousand Sixty-Two Only)

Yours truly,

For Jinesh Doshi & Associates



Authorised Signatory

Tax Invoice

Date 14/09/2009


To,
Jumpin Adventures Pvt. Ltd.
Bijni Choti, Yamkeshwar Block,
Pauri Garhwal,
Rishikesh

Item No.	Particulars	Amount (Rs.)
1	Construction & Fabrication of Jumping Platform with Cantilever Bridge, made from structural steel & Foundations in R.C.C. complete. RA-3	3245420
	Total	3245420

(Rupees: Thirty-Two Lakh Forty-Five Thousand Four Hundred Twenty Only)

Yours truly,

For Jinesh Doshi & Associates


Authorised Signatory

JINESH DOSHI & ASSOCIATES

Tax Invoice

Date 13/05/2009

To.


Jumpin Adventures Pvt. Ltd.
Bijni Choti, Yamkeshwar Block,
Pauri Garhwal.
Rishikesh

Item No.	Particulars	Amount (Rs.)
1	Construction & Fabrication of Jumping Platform with Cantilever Bridge, made from structural steel & Foundations in R.C.C complete. RA-2	2000000
	Total	2000000

(Rupees: Twenty Lakh Only)

Yours truly,

For Jinesh Doshi & Associates



Authorised Signatory

JINESH DOSHI & ASSOCIATES

Tax Invoice

Date 16/04/2009

To,

Jumpin Adventures Pvt. Ltd.

Bijni Choti, Yamkeshwar Block,

Pauri Garhwal,


Rishikesh

Item No.	Particulars	Amount (Rs.)
1	Construction & Fabrication of Jumping Platform with Cantilever Bridge, made from structural steel & Foundations in R.C.C. complete. RA-1	2050000
	Total	2050000

(Rupees: Twenty Lakh Fifty Thousand Only)

Yours truly,

For Jinesh Doshi & Associates



Authorised Signatory

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि लीजधारक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण(संवर्धन) अधिनियम 2023 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रभागीय वन अधिकारी
सैन्यडोन वन विभाग
कोटहरा जिला
or